24/04/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी
ने संशोधित शीर्षक पेश किया जिसे शामिल
पत्रावली किया जाता है। विपक्षीगण के नोटिस तामील
कुदा प्राप्त होने के बावजूद कोई उप० नहीं हुआ अत:
उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है
वकील प्रार्थी वकील ने बहस सुनने का निवेदन किया।
प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया।
पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजात
का अवलोकन किया गया जिससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी का
प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है। अत: नेरवमनंदी
निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया जाता है
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से
कम हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी 1.गोविन्द पुत्र प्रागाराम 2. चुतराराम पुत्र मुकनाराम 3. चम्पादेवी पत्नी प्रागाराम 4. तगाराम पुत्र प्रागाराम 5. भोजाराम पुत्र मुकनाराम 6. मुकनाराम पुत्र लुम्बाराम 7. मिर्गो पत्नी नेना जातियान जाट निवासीयान शेरपुरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर	बनाम	विप्रार्थीगण 1. वीरसिंह पुत्र खीमसिंह 2. लखसिंह पुत्र खीमसिंह 3. गणपतसिंह पुत्र खिमसिंह 4. लुणसिंह पुत्र खीमसिंह 5. बालसिंह पुत्र खीमसिंह 6. जीयाराम पत्नी खीमसिंह 7. छेलसिंह पुत्र नाथुसिंह 8. बलवन्तसिंह पुत्र नाथुसिंह 9. सबलसिंह पुत्र नाळुसिंह 10. सुवा पत्नी नाथुसिंह जातियान राजपुत निवासीयान शेरपुरा तहसील सेडवा 11. गोगा पुत्र जाला 12. पारू पत्नी बालाराम 13. खुमा पुत्र टीकमा 14. ठाकरा पुत्र चोला 15 गमा पत्नी चोला 16. किसना पुत्र चोला 17. गोरखा पुत्र जेता 18. फोटू पत्नी जेता 19. जगमाल पुत्र हरजी 20. खेराज पुत्र हरजी 21. मोडा पुत्र गुमना 22. लिखमा पुत्र गुमना 23. सोना पुत्र गुमना 24. मीरा पत्नी गुमना 25 मंगला पुत्र नरसीगा 26 गोगा पुत्र नरसीगा 27. किशना पुत्र नरसीगा 28. रूपा पुत्र दुर्गा 29. हीरा पुत्र भारथा 30. चुतराराम पुत्र कानाराम 32. जैसाराम पुत्र कानाराम जातियान जाट निवासी शेरपुरा तहसील सेडवा 33. आईदानराम पुत्र मालाराम 34. चुन्नीदेवी पत्नी आईदानराम 35. सताराम पुत्र मालाराम जातियान कोली निवासी शेरपुरा तहसील सेडवा 36 गंगाराम पंत्र केशा 37. छोगाराम पुत्र केशा 38. डालुराम पुत्र लुम्बाराम जातियान जाट निवासी शेरपुरा 39.गेमरसिंह पुत्र पहाडसिंह 40 प्रेमसिह पुत्र पहाडसिह 41. हिन्दुसिंह पुत्र पहाडसिंह जातियान राजपुत निवासी शेरपुरा 43. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

दिनांक : 24/04/2023

राजस्व आवेदन संख्या 22/2023

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बामड़ला भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के मौजा शेरपुरा के खेत खसरा संख्या खसरा संख्या 1033/661 रकबा 2.6709 हैक्ट. खसरा संख्या 857/661 रकबा 10.7970 हैक्ट. खसरा संख्या 855/658/ रकबा 2.6952 हैक्ट. खसरा संख्या 856/658 रकबा 2.6952 हैट. खसरा संख्या 858/661 रकबा 4.7915 हैक्ट. खसरा संख्या 859/661 रकबा 2.1853 हैक्ट.किस्म बा.दो के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

—sd—
(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा
दिनांक 24/04/2023

क्रमांक/भू.अ./2023/ 751-754

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी गोविन्दा वगैरा।
3. विप्रार्थीगण वीरसिंह पुत्र खीमसिंह वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं 23/2023 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

गोविन्द वगैरा बनाम वीरसिंह वगैरा

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री मेहराराम

निर्णय

दिनांक – 24/04/2023

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बामड़ला भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के मौजा शेरपुरा के खेत खसरा संख्या 1033/661 रकबा 2.6709 हैक्ट. खसरा संख्या 857/661 रकबा 10.7970 हैक्ट. खसरा संख्या 855/658/ रकबा 2.6952 हैक्ट. खसरा संख्या 856/658 रकबा 2.6952 हैट. खसरा संख्या 858/661 रकबा 4.7915 हैक्ट. खसरा संख्या 859/661 रकबा 2.1853 हैक्ट. किस्म बा.दो स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विप्रार्थीण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बामड़ला भू.अ.नि. क्षेत्र बामड़ला के मौजा शेरपुरा के खेत खसरा संख्या 1033/661 रकबा 2.6709 हैक्ट. खसरा संख्या 857/661 रकबा 10.7970 हैक्ट. खसरा संख्या 855/658/ रकबा 2.6952 हैक्ट. खसरा संख्या 856/658 रकबा 2.6952 हैक्ट. खसरा संख्या 858/661 रकबा 4.7915 हैक्ट. खसरा संख्या 859/661 रकबा 2.1853 हैक्ट. स्थित है। स्थित की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24/4/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी,सेड़वा